

(1)

प्र0क0 2400181 / 16

न्यायालय:- शरद जायसवाल प्रथम सिविल जज वर्ग 2, भिण्ड म.प्र.
(समक्ष:- शरद जायसवाल)

व्य0प्रक0क0- 2400181 / 16
संस्थित दिनांक 18.10.2016

बलवीर उम्र 52 वर्ष पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल
निवासी ग्राम जोरी अहीर तहसील अटेर
जिला भिण्ड म0प्र0..... आदि ।

.....वादीगण / आवेदकगण

विरुद्ध

कृपाराम उम्र 53 वर्ष पुत्र स्व0 रामनेरश
निवासी ग्राम जोरी अहीर तहसील अटेर
जिला भिण्ड म0प्र0..... आदि ।

.....प्रतिवादीगण / अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 19.2.2018 को पारित)

- 1- इस आदेश द्वारा वादीगण/आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आई.ए.एन.1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2. एवं धारा 151 सि.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है ।
- 2- प्रकरण में यह स्वीकृत है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1,2,3 एक ही मूल पुरुष परमसुख की संतान है ।

3— वादीगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके मौजा जोरी अहीर में आराजी क्रमांक 949 जिसका नवीन बंदोवस्त के आराजी क्रमांक 1049 में परिवर्तित किया गया है उक्त आराजी पूर्वज परममुख से प्राप्त पैतृक संपत्ति है। जिसका अब तक कोई विधिक बटवारा नहीं हुआ है। वादीगण अपने पूर्वज रुस्तम के हिस्सा 1/2 के मालिक व स्वामी है। जो कि पूर्वजों के समय से ही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज का नाम संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी में दर्ज होता रहा है। खसरा संवत् 2025 में एवं उसके पूर्व के खसरा रिकार्ड में वादीगण के पूर्वज रुस्तम सिंह का हिस्सा 1/2 दर्ज होता चला आ रहा है। वादीगण के पूर्वज रुस्तम के द्वारा अपनी परिवार की आजीविका को बेहतर तरीके से चलाने के लिए समय समय पर आकर अपनी खेती कराते थे तथा कभी कभी प्रतिवादी कृपाराम आदि को भी बटाई पर खेती करवाते थे। प्रतिवादीगण ने गलत लाभ लेने के नियत से वादीगण को जानकारी दिये बिना वाला-वाला तरीके से अपने नाम का नामांतरण करा लिया जबकि प्रतिवादीगणों को वादीगण के हिस्से 1/2 बावत् जानकारी थी। चूंकि प्रतिवादीगण वादीगण के खास परिवारजन है।

4— प्रतिवादीगण ने योजनाबद्ध तरीके से उक्त आराजी में से वादीगण के पूर्वजों के चले आ रहे नाम को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के नवीन बंदोवस्त के दौरान कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम से नामांतरण करा लिया जिसकी कोई जानकारी प्रतिवादीगण ने वादीगण को नहीं होने दी। तब वादीगण ने दिनांक 27.9.2016 को प्रतिवादीगण से इस संबंध में चर्चा की तो प्रतिवादीगण वादीगण से नाराज हुए एवं यह धमकी दी कि तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। इस कारण से प्रकरण में यही आराजी नंबर 1049 रकवा 0.720 हेक्टेयर में वादीगण का हिस्सा 1/2 बावत् विवाद उत्पन्न कर दिया है। विवादित आराजी में हिस्सा 1/2 रकवे पर वादीगण का कब्जा एवं स्वत्व व हक व अधिकार आज तक निरंतर चल आ रहा है एवं वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर फसल का लाभ प्राप्त करते रहे है।

5— विवादित आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/2 पर कब्जा एवं स्वत्व व हक निहित है। जिसमें प्रतिवादीगण ने दखल देना प्रारंभ कर दिया है। अतः आवेदगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण को विवादित आराजी के किसी भी भाग को अन्यत्र विक्रय करने से रोका जाये एवं कोई ऐसा कार्य न करे जिससे वादीगण के हित प्रभावित हों।

6— प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का जबाव आवेदन इस प्रकार है कि भूमि के सर्वे क्रमांकों का परिवर्तन होना स्वीकार है परंतु विवादित भूमि पर वादीगण का और उनके पूर्वजों का संवत् 2025 से लेकर आज तक कभी भी कोई कब्जा होना या उनके द्वारा भूमि को बटाई पर देना स्वीकार नहीं है। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम नामांतरण वैध होने से स्वीकार है। परंतु यह कहना गलत है कि वह नामांतरण वादीगण की गैर जानकारी में किया गया है। वादीगण का परिवार कभी भी मौजा

जोरी अहीर में नहीं रहा मामले में वादीगण एवं प्रतिवादीगण से कभी भी जमीन के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। आवेदकगण का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न उनका आज भी उस पर कोई हक व अधिकार है। आवेदकगण के द्वारा विवादित भूमि पर कभी भी कोई कृषि कार्य नहीं किया गया है। जब वादीगण का उक्त भूमि पर कोई हक या अधिकार ही नहीं है फिर उनके स्वत्व पर खतरा कहा से आ गया। विवादित आराजी वादीगण का न तो कभी कब्जा व स्वत्व रहा और न वर्तमान में है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में नहीं है। अतः वादीगण का आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।

7— अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दु विचारणीय है:-

(अ) क्या प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है ?

(ब) क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी ?

(स) क्या सुविधा का संतुलन का वादीगण के पक्ष में है ?

// विचारणीय बिंदु क्रमांक 01 की विवेचना //

8— सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है अर्थात् क्या वादीगण/आवेदकगण द्वारा सद्भाविक रूप से विधि अथवा तथ्य का ऐसा प्रश्न उठाया गया है, जिसका गुण दोष पर निराकरण किया जाना आवश्यक है। आवेदकगण/वादीगण की ओर से आवेदन के समर्थन में रामश्री ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण की ओर से कृपाराम ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण का अभिवचन है कि संवत् 2025 एवं उसके पूर्व के राजस्व अभिलेख में वादीगण के पूर्वज रूस्तम सिंह का 1/2 हिस्सा का इंद्राज रहा है। वादीगण का यह भी तर्क है कि वादोक्त भूमि संयुक्त परिवार की भूमि है और बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण द्वारा आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत मौजा जोरी अहीर परगना अटेर जिला भिण्ड की सर्वे क्रमांक 949 संवत् 2025 की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है कि संवत् 2025 में सर्वे क्रमांक 949 में वादीगण के पूर्वज रूस्तम सिंह का एवं वंशी पुत्र बृन्दावन की 1/2-1/2 भाग दर्शित है। उक्त खसरा संवत् 2025 में भूमिस्वामी के कॉलम में वादीगण के पूर्वज एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज का नाम अंकित है। प्रतिवादीगण की आपत्ति है कि उसका संयुक्त परिवार नहीं है। विवादित भूमि पर वादीगण एवं उनके पूर्वज का संवत् 2025 से लेकर आज तक कभी कब्जा नहीं रहा है। किंतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा संवत् 2025 में वादीगण के पूर्वज का कब्जा दर्शित है।

9— प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा वर्ष 2030-2035 की प्रमाणित प्रति में वादीगण के पूर्वज रूस्तम सिंह एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज वंशी के नाम का इंद्राज वादोक्त भूमि के संबंध में है। सम्वत् 2040 से 2044 के खसरे की प्रमाणित प्रति, संवत् 2045 से 2049 के खसरे की प्रमाणित प्रति, एवं सम्वत् 2055 से 2059 के खसरे की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से दर्शित है कि सर्वे क्रमांक 1049 में रामश्री का भी नाम अंकित है किंतु उक्त दस्तावेजों में रामश्री बेबा बंशी अंकित है जबकि रामश्री पत्नी बाबूलाल हैं अर्थात् रामश्री वादीगण की मां है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा वर्ष 2015 से 2019 की प्रमाणित प्रति में दर्शित है कि वर्तमान में वादोक्त सर्वे क्रमांक प्रतिवादीगण का कब्जा है उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादोक्त सर्वे क्रमांक पर पूर्व में वादीगण के पूर्वज एवं प्रतिवादीगण के नाम का संयुक्त इंद्राज रहा है। वर्तमान में मात्र प्रतिवादीगण का इंद्राज है। जहां तक प्रश्न इस बात का है कि वादोक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की संपत्ति है या प्रतिवादीगण मात्र की है तो इस प्रश्न का निर्धारण साक्ष्य लेकर किया जाएगा। इस स्तर पर इस प्रश्न का निराकरण नहीं किया जा सकता है। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामल वादीगण के पक्ष में पाया जाता है।

// विचारणीय बिंदु क्रमांक 02 व 03 की विवेचना //

10— जहां तक प्रश्न सुविधा के संतुलन का है कि यदि वाद लम्बन के दौरान अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी गयी तो किस पक्ष को सबसे ज्यादा असुविधा होगी। तो वादीगण प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में सफल रहे हैं। यदि वादलम्बन के दौरान वादोक्त सम्पत्ति का अन्यसंक्रामण किया जाता है तो निश्चित ही वाद बहुल्यता बढ़ेगी तथा अनावश्यक ही अन्य व्यक्तियों को पक्षकार बनाना पड़ेगा जिससे निश्चित ही वादी को असुविधा होगी। ऐसे में अस्थायी निषेधाज्ञा देने से प्रतिवादीगण को कोई असुविधा एवं अपूर्णनीय क्षति होना भी दर्शित नहीं है। अतः अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धांत भी वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में पाया जाता है।

11— उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूर्णनीय क्षति, सुविधा के संतुलन का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सि0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है एवं निम्नानुसार आदेशित किया जाता है —

“प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वादोक्त भूमि मौजा जोरी अहीर में आराजी क्रमांक 1049 रकवा 0.720 हेक्टेयर को स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से विक्रय न करे न करावें।

12— यह आदेश वाद के अंतिम निराकरण तक या न्यायालय के आगामी आदेश तक

(5)

प्र0क0 2400181 / 16

प्रभावी रहेगा।

13— इस आदेश का वाद के अन्तिम निराकरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

14— उभय पक्ष स्वयं आवेदन का व्यय वहन करेंगे।

मेरे बोलने पर लिखा गया

सही /—

शरद जायसवाल
प्रथम सिविल जज वर्ग 2
भिण्ड म0प्र0

स्थान— भिण्ड
दिनांक—.....